संख्या– 1365 / II–2004–03–(06) / 2003

प्रेषक,

बी0आर0 टम्टा,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई मण्डल, पौडी,

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक, 21 अप्रैल, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष–2004–05 के लिए आयोजनागत मदों में लेखानुदान अवधि में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन के पत्र सं0–240 / वि0अनु0–1 / 2004 दिनांक 27.03.204 एवं आपके पत्र सं0 06 / ल0सिं0 / बजट / 2004–05 दिनांक 07.04.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत मद में कार्यो के लिए संलग्न विवरणानुसार रू0 576.80 लाख (रूपय पाचं करोड़ छियत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जायें जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्गित रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय, हस्तपुस्तिका, टैण्डर / कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जिला योजना की फॅाट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।

5– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकि का प्रयोग किया जाय।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6

पेज......2

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग जुलाई 2004 तक कर दिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9– ए0आई0वी0पी0 की योजनाओं पर व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा और भारत सरकार से उक्त के विपरीत आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राविधानित करा ली जायेगी तथा आगामी किस्त भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की स्थिति स्पष्ट करने पर ही अवमुक्त की जायेगी।

10– विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकि अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उप लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–51/वि0 अनु0–3/2004 दिनांक,19 अप्रैल 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0आर0 टम्टा)
उप सचिव।

संख्या–1305/II–2004–03–(06)/2003/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
3– वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3), उत्तरांचल शासन।
4– श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
5– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
6– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
7– निजी सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण एवं लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
9– समस्त कोषाधिकारी /जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
10– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नकः–यथोक्त।

(बी0आर0 टम्टा)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या 1305 /II–2004–03–(06)/2003 दिनांक 21 अप्रैल 2004 का संलग्नक

क्र0सं0	लेखा शीर्षक	देहरादून	टिहरी	उत्तरकाशी	हरिद्वार	नैनीताल	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	बागेश्वर	चम्पावत	ऊ0सिंहनगर	पौड़ी	चमोली	रूद्रप्रयाग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2702–लघु सिंचाई 80–सामान्य 052–मशीनरी एवं उपस्कर 04–मरम्मत 26–मशीने और सज्जा/उपस्कर और संयत्र	0.07	0.08	0.17	0.08	0.05	0.10	0.07	0.07	0.08	0.67	0.16	0.16	0.16	1.92
2	796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना 91–जिला योजना 9102–आर्टीजन कूपों का निर्माण (जि0यो0) 25–लघु निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.67	–	–	–	1.67
3	9103–हाईड्रम स्प्रिकलरों का निर्माण (जि0यो0) 25–लघु निर्माण कार्य	–	–	2.17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.17
4	800–अन्य व्यय 9101–लघु सिंचाई योजन के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिंकलरों का निर्माण(जि0यो0) 24–बृहद निर्माण 42–अन्य व्यय	8.10 5.40	 3.50	11.53 6.67	 –	4.32 4.27	5.90 4.00	4.63 4.63	7.42 6.60	6.00 1.17	 0.30	4.34 6.27	10.00 5.56	6.50 2.37	68.74 50.74
5	9103–गूल हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण (जि0यो0) 25–लघु निर्माण कार्य	3.44	10.16	23.57	14.00	10.35	9.00	1.89	13.43	7.68	–	23.33	10.33	10.97	138.15
6	9104–लघु सिंचाई कृषकों को बोरिंग तथा पम्प सैट 20–अहा0अनुदान/अंशदान/राज सहायता	–	–	–	2.50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.50
7	9105–जनपदों में गोदामों का निर्माण 24–बृहद निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	1.00	–	0.16	0.17	–	–	–	–	1.33
8	9106–आर्टीजन कूपों का निर्माण 24–बृहद निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.67	–	–	–	10.67
9	4702–लघु सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीयआयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (75 प्रतिशत के0स0) 0104–त्वरित सिंचाई लाभ योजना 24–बृहद निर्माण कार्य	64.70	58.40	47.30	2.20	11.40	22.71	31.60	19.30	23.90	17.40	–	–	–	298.91
	योग–	81.17	72.14	91.41	18.78	30.39	42.71	42.82	46.98	39.00	30.71	34.10	26.05	20.00	576.80

(रू0 छः करोड़ छियत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)

(बी0आर0 टम्टा)
उप सचिव।